(107)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1420–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–05–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर सिटी, प्रकरण कमांक 36/2014–15/अपील

.....

1–उदयसिंह यादव पुत्र श्री हरनामसिंह यादव

2–जितेन्द्र यादव पुत्र श्री हरनामसिंह यादव

निवासी गण ग्राम मालनपुर पुरानी छावनी

तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

रामनाथ हाउसिंग प्राय.लिमि.कॉरपोरेशन

द्वारा निर्देशक एस0सी0गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता

निवासी तिलक नगर नागपुर महाराष्ट्र

ग्राम मालनपुर तहसील व जिला ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 31–5–2014 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम

अपील दिनांक 4–8–2015 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई तथा साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 36/2014–15/अपील दर्ज कर दिनांक 03–05–2016 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह नहीं बतलाया गया है कि उन्हें दिनांक 16–7–2015 को खसरे की नकल की आवश्यकता क्यों हुई और न ही उनके द्वारा आदेश की जानकारी होने का कोई स्त्रोत बतलाया गया है, इसलिये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है कि अनावेदक द्वारा काउण्टर शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उनका यह दायित्व था कि वे आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर विवेचना कर आदेश पारित करते ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में जानकारी का स्त्रोत दर्शाया गया है और शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है जिसमें समय सीमा लागू नहीं होती है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण पर विधिवत् तामीली नहीं कराई जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिये ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर